रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2366] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10, 2012/अग्रहायण 19, 1934

No. 2366] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 10, 2012/AGRAHAYANA 19, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2866(अ).—यत: केन्द्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 6-6-2012 की सं. का.आ. 1296(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

2. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन

मास्टर प्लान दिल्ली-2021 के पैरा 15.07.03 (iii) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाए :

"डे स्पा/वजन कम करने के केन्द्र/आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले आयुर्वेदिक केन्द्र/स्वस्थ्यता और सौन्दर्यकरण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सेलून, सीखने में अक्षमता रखने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए बहुप्रयोजनीय क्लिनिक (अधेड़ और विकलांगों की देखभाल के लिए सुविधाएं इस श्रेणी के अंतर्गत अनुमत होंगी) और पैथोलॉजी प्रयोगशालाएं सी और डी कालोनियों में 13.5 मी. मार्गाधिकार और ई, एफ और जी कालोनियों में 9 मी. मार्गाधिकार पर नियमित प्लोटिड विकास में न्यूनतम 100 वर्गमीटर आकार के प्लाट पर अनुमत होंगी । तथापि, क्लिनिक औषधालयों और पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं के लिए प्लाट का न्यूनतम आकार 50 वर्गमीटर होगा जो सी एण्ड डी कालोनियों में 13.5 मी. मार्गाधिकार और ई. एफ एवं जी कालोनियों में 9 मी. मार्गाधिकार पर नियमित प्लोटिड विकास में न्यूनतम 100 वर्गमीटर आकार के प्लाट पर अनुमत होगा । तथापि इन कालोनियों और ई, एफ एवं जी श्रेणी की कालोनियों में चल रहे क्लिनिकों, औषधालयों और पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं के लिए प्लाट का न्यूनतम आकार 50 वर्गमीटर होगा । वॉल्ड सिटी, वॉल्ड सिटी विस्तार, और अनाधिकृत नियमित कालोनियों में प्लाट के आकार और न्यूनतम मार्गाधिकार की शर्तें लागू नहीं होंगी ।"

[सं. के-12011/05/2007 डीडीआईबी खण्ड 2]

जे. पी. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2012

S.O. 2866(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1296(E), dated 6th June, 2012 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Para 15.7.3 (iii) of Master Plan for Delhi 2021 may be substituted with the following Para :

"Nursing Homes, dispensaries, clinics, Wellness Centres including Day Spas/Weight Loss Centres/ Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment/ Salons offering fitness & aesthetic medical services, Multidisciplinary Clinics for persons with Learning Disablities (facilities for care of the elderly and disabled shall be permissible under this category) and pathology labs shall be permissible: on minimum plot size of 100 sqm in regular plotted development on 13.5 m ROW in C & D colonies and 9 m ROW in E, F, & G colonies. However, the minimum plot size shall be 50 sqm for clinics, dispensaries and pathology labs shall be permissible: on minimum plot size of 100 sqm in regular plotted development on 13.5 m ROW in C & D colonies and 9 m ROW in E, F & G colonies. However, the minimum plot size shall be 50 sqm for clinics, dispensaries and pathology labs running in these colonies and also E, F, G category colonies. In Walled City, Walled city extension, villages and unauthorised-regularised colonies, conditions of plot size and minimum ROW shall not be applicable."

[No. K-12011/5/2007-DDIB Vol. 2]

J. P. AGRAWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.